::आदेश::

कोरोनावायरस (COVID-19) के संक्रमण के दृष्टिगत दिनांक 22.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक लॉक–डाउन सम्बन्धी शासन की अधिसूचना संख्याः 217/UKMFWS/PS-MDNNM/2019-20 दिनांक 22.03.2020 के क्रम में पारित इस कार्यालय के पूर्व आदेश संख्याः 2106/सीपीओ–डीएम–2020 दिनांक 22.03.2020 में निम्नलिखित शर्ते भी शामिल रहेगीः–

1– पूर्व आदेश संख्या 2106 दिनांक 22.03.2020 के क्रमाक 14 व 15 में वर्णित दैनिक आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित दुकाने प्रातः 07 बजे से 10 बजे तक ही खुली रहेगी।

2– उक्त अवधि प्रातः 07 बजे से 10 बजे तक जनपद क्षेत्रान्तर्गत स्थित बैंक, ए.टी.एम. तथा कोषागार भी खुले रहेगे, तथा सम्बन्धित बैंक व कोषागार अधिकतम उतने ही कार्मिको को कार्यालय बुलायेगा जितने की आवश्यकता हो।

3– लॉक–डाउन के अन्तर्गत सभी आवश्यक सेवाओ को छोड़कर जनपद क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित सभी कार्यालय चाहे वह केन्द्र सरकार के अधीन हो अथवा उत्तराखण्ड राज्य के अधीन हो बन्द रहेगे।

4– जनपद में स्थित पेट्रोल पम्प पूरी अवधि में खुले रहेगे। परन्तु स्थल पर मात्र एक डीजल तथा एक पेट्रोल पम्प मशीन ही क्रियाशील रखी जायेगी, ताकि पेट्रोल पर कर्मियो की संख्या सीमित रह सके।

5– पूर्वान्ह 10 बजे के बाद केवल उन्ही व्यक्तिगत वाहनो के आवागमन को छूट रहेगी जो वास्तविक रूप से मरीज को उपचार हेतु ला व ले जा रहे हो।

6– जिन कम्पनियों व निर्माण इकाईयो में Continuous process अपरिहार्य है, उन कम्पनियों में श्रमिक के प्रवेश करने के पश्चात उसके भोजन (खाने–पीने) इत्यादि तथा प्रवास की व्यवस्था वहीं पर सम्बन्धित कम्पनी प्रबन्धक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

7– जहॉ कही निर्माण कार्य गतिमान है वहॉ पर सम्बन्धित मजदूरो की सुरक्षा व समुचित खाने–पीने तथा स्थल पर ही प्रवास की व्यवस्था का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।

8– जिन होटलो में पर्यटक अथवा कोई व्यक्ति पूर्व से रूका है उसेको जबरन होटल खाली करने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

अतः पूर्व आदेश संख्याः 2106/सीपीओ–डीएम–2020 दिनांक 22.03.2020 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष आदेश यथावत रहेगा।

(डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव)
जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

संख्या : 2110 /सीपीओ–डीएम–2020 दिनांक : 23, मार्च, 2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही व अनुपालनार्थ प्रेषित।

1– मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– अपर मुख्य सचिव महोदय–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
3– सचिव महोदय, मा0 श्रीराज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– सचिव महोदय, गृह, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5– आयुक्त महोदय, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
7– अपर जिलाधिकारी, (वि0/राज0)/प्रशासन, देहरादून।
8– सिटी मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद–देहरादून।
9– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
10–लीड बैंक अधिकारी, देहरादून।
11–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, जनपद–देहरादून।
12–जिला सूचना अधिकारी, देहरादून को समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट,
देहरादून।

Scanned with CamScanner